

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 137973 /

दिनांक : 06 फरवरी, 2013

सं0सं0 : ग्रा0वि08(ख)सा0वा0-17 /2009

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

विषय : निजी उद्यमियों के बायो-डीजल प्रोजेक्ट से योजित/सम्बद्ध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की निजी भूमि पर करंज के वृक्षारोपण कार्य को सम्मिलित करने हेतु प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट की भूमिका के संबंध में ।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 6723 दिनांक 23.06.2010 तथा दिनांक 10780 दिनांक 09.09.2010
महाशय,

बायोडीजल (करंज) प्रोत्साहन हेतु प्रोपोनेन्ट की अवधारणा संबंधी इस विभाग से उपर्युक्त पत्र निर्गत किये गये । विभाग को जानकारी प्राप्त हुई है कि इस व्यवस्था को कालान्तर में सामान्य वृक्षारोपण में भी Facilitator के रूप में लागू किया जा रहा है । इस पर सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि सामान्य वृक्षारोपण करने हेतु किसी भी संस्था विशेष को Facilitator के रूप में सम्बद्ध नहीं किया जाए ।

यह भी निदेश दिया जाता है कि उक्त संदर्भित विभागीय पत्रों के आलोक में की गई कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर विभाग को अवगत कराया जाए ।

विश्वासभाजन

57217
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव